

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 1286/11-सी-FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 07, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:— जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-334ए) पुरकाजी-लक्सर मार्ग कि०मी० 0.00 से कि०मी० 15.089 के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.93 हे० वन भूमि (0.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 0.60 हे० आरक्षित वन भूमि) के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 269 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Road/40150/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर एवं प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों सहित प्रस्ताव की दो मूल प्रतियों सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के धारा-2 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोग्राफिक संलग्न है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैंड शैड्यूल संलग्न है।
5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश संलग्न है।
6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है।
7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है।
8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map सीडी सहित संलग्न है।
9. प्रभावित संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।
10. क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक एवं Geo Referenced Digital Map सीडी सहित संलग्न है।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
12. प्रस्ताव में वन्यजीव के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
13. वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
14. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है।
15. बाधक वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम व व्यासवार सहित संलग्न है।
16. On line data entry का Time Line Detail संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त (पी०डी० सहित)।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 1286/11-सी FP/UP/Road/40150/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
- 3— अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

Proposal No: FP/UP/ROAD/40150/2019

PART-IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

CF, 15.12.2022
.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।

Signature: 
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow
Name & Designation
(Official Seal)

Date:- 8/10/22

Place:-